


(समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड)
निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान हेतु आवेदन - पत्र

1. जनपद तहसील..... विकासखण्ड
- ग्राम पो०ओ०.....
2. विधवा का नाम श्रीमती
3. स्व० पति का नाम
4. पति की मृत्यु का दिनांक स्थान
5. प्रार्थना पत्र देने की तिथि को विधवा की आयु (परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न करें)
6. जाति उपजाति
7. प्रार्थिनी की सभी श्रोतों से मासिक आय रु० (तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. प्रार्थिनी B.P.L. कार्ड धारक हैं तो बीपीएल क्रमांक
9. बैंक/डाकघर का नाम एवं खाता संख्या



प्रार्थिनी द्वारा शपथ

मैं प्रमाणित करती हूँ कि :-

1. मेरी गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है। मेरी सभी श्रोतों से होने वाली मासिक आमदनी रु० है।
2. प्रार्थना पत्र के ऊपर दिये गये समस्त विवरण सत्य हैं यदि कोई विवरण गलत सिद्ध हो तो मैं अनुदान के रूप में प्राप्त की गई धनराशि राजकीय कोष में जमा कर दूंगी। ऐसा न करने पर नियम 17 के अनुसार भुगतान की गई धनराशि मुझसे वसूली की जा सकेगी। मैं इसके लिए बाध्य रहूंगी।

दिनांक.....

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
 नाम
 पूरा पता

(ग्रामीण क्षेत्र)

ग्राम पंचायत वि.खं. जनपद

ग्राम पंचायत की खुली बैठक आज दिनांक को सम्पन्न हुई है। जिसमें इस प्रार्थना-पत्र को नियमानुसार निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान सं० के द्वारा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है और आयु को वरीयता में प्रतिक्षा सूची के नाम क्रमांक पर दर्ज किया जाता है। (प्रति संलग्न करें)

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर
 एवं मुहर

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 हस्ताक्षर / मुहर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 के हस्ताक्षर एवं मुहर

(शहरी क्षेत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि पत्नी स्व०

ग्राम/मुहल्ला पो०ओ० वि०ख० तहसील.....

..... जनपद की स्थाई निवासी हैं। इनकी समस्त श्रोतों से मासिक आय रु० है। इन्हें निराश्रित भरण पोषण अनुदान हेतु चयनित करने की संस्तुति की जाती है। (प्रति संलग्न करें।)

दिनांक.....

वार्ड मैम्बर के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

तहसीलदार
 मुहर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 के हस्ताक्षर एवं मुहर